संख्या-117/2021/।/85779/2021 फाइल नं0-71-1002(002)/24/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 04 अगस्त, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्थित इन्दिरा गर्ल्स छात्रावास के जीर्णोद्धार हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/230, दिनॉक 09-03-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्थित इन्दिरा गर्ल्स छात्रावास के जीर्णोद्धार हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित कुल लागत रू0 710.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-68-राजकीय मेडिकल कालेजोंका जीर्णोद्धार हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1595.88 लाख के सापेक्ष रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर कमेटी की देख-रेख में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्य सम्पादित किया जाये।
4. प्रयोजना प्रस्ताव में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गई है। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
5. प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत आर0ओ0 एवं वाटर कूल (प्रस्तावित लागत रू0 3.50 लाख) प्रस्तावित किया गया है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा आर0ओ0 एवं वाटर कूलर का कार्य एवं स्थापना आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर पृथक से किया जाये।
6. प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
14. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
16. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
17. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-751/दस-2021-2022, दिनॉक 04 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- श्री कुलदीप रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।